न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण सख्या : 135/2018

शिवप्रकाश शर्मा पुत्र स्व0 श्री नन्दकिशोर जाति ब्राहमण निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां

वादी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादी

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 आर.टी.एक्ट व 136 एल.आर.एक्ट.</u>

पीठासीन अधिकारी : प्रमोद कुमार सिंधव (आर.ए.एस.)
वकील वादी : दया कृष्ण धाकड
दायर दिनांक–15.11.2018 निर्णय दिनांक : 05.12.2018

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी के स्व0 पिता श्री नन्द किशोर पुत्र भैरूलाल जाति ब्राहमण निवासी सीसवाली के खाते की आराजी खाता संख्या 408 खसरा नं0 1273 रकबा 1.50 है0, खसरा नं0 1437 रकबा 0.22 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.72 है0 वाके ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल में स्थित है जो जमाबंदी सम्वत 2073–76 में वादी के पिता का नाम नन्दलाल बेटा भैरूलाल दर्ज कर दिया है। जबकि वादी के पिता का वास्तविक नाम नन्दकिशोर ही है। वादी के मृतक पिता के अन्य दस्तावेज मतदाता पहचान–पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड में भी वादी के पिता का नाम नन्दकिशोर पुत्र भैरूलाल ही दर्ज है इसलिए वादी राजस्व रेकार्ड जमाबंदी खाता संख्या 408 में अपने पिता का नाम नन्दलाल के स्थान पर नन्द किशोर दर्ज करवाने की घोषणा करवाने का अधिकारी है। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वादी के खाते की आराजी खाता संख्या I 408 खसरा नं0 1273 रकबा 1.50 है0, खसरा नं0 1437 रकबा 0.22 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.72 है0 वाके ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल के राजस्व रेकार्ड में वादी के पिता का नाम नन्दलाल पुत्र भैरूलाल के स्थान पर नन्दकिशोर पुत्र भैरूलाल दर्ज किया जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 15.11.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गयी। तहसीलदार मांगरोल(लैण्ड होल्डर) पैरोकार राजस्थान सरकार ने अपने पत्र दिनांक 04.12.2018 से प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम सीसवाली में खाता संख्या 408 (संम्वत 2073–76) के अनुसार प्रार्थी के पिता का नाम नन्दलाल बेटा भैरूलाल कोम ब्राहमण सा0 देह दर्ज खाता है। मुताबिक राशन कार्ड, आधार कार्ड,

का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं ग्राम पंचायत सीसवाली द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र के आधार पर प्रार्थी के पिता का नाम नन्द किशोर पुत्र भैरूलाल होना चाहिए था, मुताबिक प्राप्त जानकारी के अनुसार भी प्रार्थी के पिता का नाम नन्द किशोर व नन्दलाल शर्मा होना बताया गया। अतः प्रार्थी के पिता का नाम नन्दलाल उर्फ नन्दकिशोर पुत्र भैरूलाल किया जाना विधि संगत प्रतीत होता है।

अतः पत्रावली के आद्योपान्त गहन अध्ययन एवं अवलोकन वाद पत्र वादी एवं संलग्न दस्तावेज एवं जवाब प्रतिपक्षी राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल(लैण्ड होल्डर) एवं ग्राम पंचायत सीसवाली के प्रमाण पत्र दिनांक 04.09.2015 एवं बहस फाईनल वकील वादी एवं प्रतिवादी राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम सीसवाली की आराजी खाता संख्या 408 खसरा नं0 1273 रकबा 1.50 है0, खसरा नं0 1437 रकबा 0.22 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.72 है0 की राजस्व जमाबंदी में दर्ज वादी के पिता का नाम **नन्दलाल पुत्र भैरूलाल जाति ब्राहमण सा0 देह हजफ किया जाकर नवीन इन्द्राज नन्दकिशोर पुत्र भैरूलाल जाति ब्राहमण सा0 देह** दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादी तहसीलदार मागंरोल उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.12.2018 को सरेईजलास मजमेंआम में सुन